प्रकरण क्र. R/368/ 2016 निगरानी

1. लाला उर्फ राजेश पिता लक्ष्मणजी माली
2. गोपाल पिता लक्ष्मणजी जाति माली
निवासी ग्राम अमला तह. बडनगर जिला उज्जैन

..................आवेदकगण

विरूद्ध

1. गिरधारीलाल पिता लक्ष्मणजी जाति माली निवासी ग्राम अमला तह. बडनगर हा. मु. भारतीय स्टेट बैंक के पीछे, आईडिया स्कूल के सामने, मेघनगर, जिला झाबुआ
2. सरजूबाई स्व. लक्ष्मणजी जाति माली निवासी ग्राम अमला तह. बड़नगर
3. पटवारी मौजा ग्राम अमला तह. बड़नगर

....................अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 2.5.16 को प्रस्तुत

राजस्व मंडल ग्वालियर

<u>पुनःरीक्षण आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 भू.रा.सं.</u>

<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बडनगर के प्रकरण कमांक 08/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2016 से क्षुब्ध होकर</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनःरीक्षण स्मृति लेख निम्नलिखित सविनय पेश है –

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

01. यह कि, ग्प्रम अमला तह. बड़नगर मे एक भूमि खाता भूमि सर्वे नं. 1247/2 रकबा 0.83 हें. का राजस्व रिकार्ड मे आवेदकगण एवं अनावेदक कं. 2 के नाम से अंकित चला आ रहा था, जो वर्तमान मे आवेदक कं. 1 एवं 2 के नाम से अंकित है और उस पर उपरोक्त दोनो आवेदकगण काबिज व मालिक है।

02. यह कि, आवेदकगण एवं अनावेदक कं. 1 सगे भाई है तथा अनावेदक कं. 2 उनकी माता है।

03. यह कि, उपरोक्त भूमि सर्वे नं. 1247/2 रकबा 0.83 हें. का आवेदकगण एवं अनावेदक कं. 1 व 2 के मध्य आपसी बंटवारा हो चुका है और उस अनुसार राजस्व रिकार्ड मे विधिवत बंटवारा आवेदकगण एवं अनावेदक कं. 1 व 2 के मध्य हुआ है। जिसके अनुसार आवेदकगण मे कं. 1 को 0.63 आरे तथा आवेदक कं. 2 को 0.20 आरे भूमि हिस्से व कब्जे मे प्राप्त हुई है। जिस

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1368/तीन/2016 जिला–उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
2-5-16	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बडनगर के प्रकरण क्रमांक 08/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.03.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम अमला, तहसील बडनगर में स्थित भूमि सर्वे नं.1247/2 रकवा 0.83 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में अनावेदकगण एवं अनावेदक क्र.2 के नाम अंकित चली आ रही है, जो वर्तमान में आवेदक क्र.1 व 2 के नाम अंकित है। उपरोक्त भूमियों का उभयपक्षों के मध्य आपिसी बंटवारा हो चुका है, जिसके अनुसार आवेदक क्र.1 को 0.63 आरे एवं आवेदक क्र.2 को 0.20 आरे भूमि हिस्से व कब्जे में प्राप्त हुयी है। इसी बंटवारे के अनुसार आवेदकगण एवं अनावेदक क्र.1 व 2 के मध्य बंटवारा होकर पृथक–पृथक मालिक काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे	

हैं। आवेदक क्र.1 व 2 को बंटवारे में जो भूमि प्राप्त हुयी है, उसमें अनावेदक क्र.1 गिरधारी पिता लक्ष्मण द्वारा दिनांक 20.06.2012 को बंटवारा सहमति शपथपत्र प्रस्तुत किया है। सहमति के आधार बंटवारा आदेश दिनांक 19.02.2013 को पारित हुआ है, लेकिन अनावेदक क्र. 1 ने पूर्ण सहमति के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी, बडनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 31.03.2016 को स्वीकार की गयी। इसके पश्चात् आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रकरण क्रमांक 0/15–16 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कोई सुनवाई नहीं की गयी है, जबकि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 52 का स्थगन आवेदन भी प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में इस माननीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4– प्रकरण में संलग्न अनुविभागीय अधिकारी, बडनगर के आदेश दिनांक 31.03.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन

आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत कर स्थगन की मांग की है। क्योंकि अनावेदकगण अनुविभागीय अधिकारी, बडनगर के आदेश के पालन में भूमि पर कब्जा करने के प्रयास में है। किन्तु अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा स्थगन के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन को निर्देशित किया जाता है कि स्थल पर विवाद उत्पन्न न हो, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, बडनगर के प्रकरण क्रमांक 8/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.03.2016 का क्रियान्वयन आगामी तीन माह तक स्थगित किये जाने के आदेश दिये जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण का निराकरण आगामी तीन माह में करें।

सदस्य